	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	**RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary**
सत्यमेव जयते	**साधिकार प्रकाशित**	***Published by Authority***
	भाद्र 09, सोमवार, शाके 1942–अगस्त 31, 2020 *Bhadra 09, Monday, Saka 1942–August 31, 2020*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

कार्मिक विभाग

क-ग्रुप-2

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 27, 2020

जी.एस.आर.207 :-भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान चिकित्सा सेवा **(**महाविद्यालय शाखा**)** नियम, 1962 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान चिकित्सा सेवा (महाविद्यालय शाखा) (संशोधन) नियम, 2020 है।

(2) ये 01.04.2018 से प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे।

2. नियम 24खख का संशोधन.- राजस्थान चिकित्सा सेवा **(**महाविद्यालय शाखा**)** नियम, 1962 के नियम 24खख के विद्यमान उप-नियम (6) के पश्चात्, निम्नलिखित नया उप-नियम (7) जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

" (7) उप-नियम (6) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, 01.04.2018 को या उसके पश्चात् डायनेमिक एस्योर्ड केरियर प्रोग्रेशन (DACP) के अधीन पदोन्नति पर नकद फायदे, उनके पदग्रहण की तारीख को विचार में लाये बिना, उस तारीख से अनुज्ञेय होंगे जिसको वे देय हुए है।"

[सख्या प.1(3)कार्मिक/क-2/78]

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

जय सिंह,

संयुक्त शासन सचिव

DEPARTMENT OF PERSONNEL

A-Gr.II

NOTIFICATION

Jaipur, August 27, 2020

G.S.R.207 .-In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Medical Service (Collegiate Branch) Rules, 1962, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Medical Service (Collegiate Branch)(Amendment) Rules, 2020.

(2) They shall be deemed to have come into force with effect from 01.04.2018.

2. Amendment of rule 24BB.- After the existing sub-rule (6) of rule 24BB of the Rajasthan Medical Service (Collegiate Branch) Rules, 1962, the following new sub rule (7) shall be added, namely:-

"(7) Notwithstanding anything contained in sub-rule (6), on or after 01.04.2018, cash benefit on promotion under DACP will be admissible from the date on which it becomes due irrespective of the date of their joining."

[No. F.1(3)DOP/A-II/78]
By Order and in the name of the Governor,
JAI SINGH
JOINT SECRETARY TO THE GOVERNMENT.

Government Central Press, Jaipur.